

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर  
(चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक एफ.1 (79) राजमेस/संस्था/2017/ 7179

दिनांक: 4/11/2017

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 3641 दिनांक 3105.2017 के द्वारा नवचयनित चिकित्सक शिक्षकों का पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित मेडिकल कॉलेज में किया गया था, में आंशिक संशोधन कर उनका पदस्थापन उनके नाम के समक्ष अंकित मेडिकल कॉलेज में किया जाता है:-

क्र.सं.	मूल आदेश के क्र.सं.	विशिष्टता	चयनित पद	चिकित्सक शिक्षक का नाम	मूल पदस्थापन स्थान	संशोधित पदस्थापन स्थान
1	8	एँनाटोमी	सह आचार्य	डॉ. विशाल रमेश जसूजा	चुरू	भरतपुर
2	9	एँनाटोमी	सह आचार्य	डॉ. रितु अग्रवाल	डूंगरपुर	पाली
3	101	पीएसएम	सह आचार्य	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	पाली	भरतपुर
4	103	पीएसएम	सह आचार्य	डॉ. संतोष सिंह गहलोत	डूंगरपुर	पाली
5	106	पीएसएम	वरिष्ठ प्रदर्शक	डॉ. अदिति गोधी	भीलवाडा	डूंगरपुर
6	181	ओब्स. एण्ड गायनी	आचार्य	डॉ. सधना माथुर	पाली	भीलवाडा
7	291	जनरल सर्जरी	जूनियर रेजीडेन्ट	डॉ. बालकिशन जिंदल	डूंगरपुर	भरतपुर
8	83	माईक्रोबायोलोजी	सह आचार्य	डॉ. योगेन्द्र कुमार तिवाडी	भीलवाडा	भरतपुर

क्र.सं. 259 पर अंकित डॉ. रवि कुमार माथुर, आचार्य (जनरल सर्जरी) को अपने पदस्थापन स्थान मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से सात दिवस के अन्दर-अन्दर कार्यभार ग्रहण करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

इनके सम्बन्ध में मूल आदेश में अंकित किये गये अन्य तथ्य एवं नियुक्ति की शर्तें यथावत रहेगी। इन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि ये संशोधित पदस्थापन स्थान पर आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

समन्वयक  
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी,  
जयपुर

क्रमांक एफ.1 (79) राजमैस/संस्था/2017/7179

दिनांक: 4/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष महोदय राजमैस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमैस, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चुरु, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाडा।
4. सदस्य ..... राजमैस, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी डॉ.....।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक  
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी,  
जयपुर